राजस्थान सरकार,
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः– एफ.6(05)प्र.सु./अनु.–3/2019 जयपुर,दिनांकः 23/2/22

आज्ञा

राज्य के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999–2000 को नवीनतम आधार वर्ष में परिवर्तित किए जाने, आईटम बॉस्केट के निर्धारण एवं अन्य तकनीकी विषयों पर परामर्श हेतु निम्नानुसार तकनीकी समिति गठित किए जाने की स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र.सं.	तकनीकी समिति में मनोनयन हेतु सम्बन्धित अधिकारी	पदनाम
1.	शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर अथवा उनके निर्देशानुसार।	पदेन अध्यक्ष
2.	उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
3.	निदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (पी.एस.डी.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	आर्थिक सलाहकार, आर्थिक नीति संवर्दधन विभाग, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य
7.	प्रतिनिधि, वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान, जयपुर । (संयुक्त शासन सचिव स्तर के)	सदस्य
8.	प्रतिनिधि, कृषि विपणन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर । (संयुक्त शासन सचिव स्तर के)	सदस्य
9.	प्रतिनिधि, कृषि (सां.), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर। (संयुक्त शासन सचिव स्तर के)	सदस्य
10.	प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर। (संयुक्त शासन सचिव स्तर के)	सदस्य
11.	प्रोफेसर एवं निदेशक, विकास अध्ययन संस्थान, 8–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।	सदस्य
12	श्री भँवर लाल बैरवा, निदेशक (सांख्यिकी), स्वायत शासन विभाग, सिविल लॉइन फाटक के पास, जयपुर–16।	सदस्य
13	श्री राजकुमार पाण्डेय, निदेशक (सांख्यिकी), जनाधार प्राधिकरण, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।	सदस्य
14	श्री राजेन्द्र सिंह तँवर, निदेशक (सांख्यिकी), गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	सदस्य
15	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य सचिव

समिति के विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित रहेगें।

1. राजस्थान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999–2000=100 के स्थान पर किसी उपयुक्त नवीनतम आधार वर्ष का निर्धारण करना।
2. नवीनतम आधार वर्ष पर राजस्थान राज्य के थोक मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं एवं उनकी किस्मों का चयन करना।
3. चयनित वस्तुओं के वर्गानुसार एवं उप–वर्गानुसार विभाजित करना।
4. चयनित वस्तुओं के नियतावधि थोक भाव संकलन हेतु बाजार/केन्द्रों का निर्धारण करना।
5. थोक भाव प्रेषित करने वाली एजेन्सियों का निर्धारण करना।

6. नवीनतम आधार वर्ष हेतु आधार मूल्यों का निर्धारण करना।
7. चयनित वस्तुओं का भारांकन का निर्धारण करना।
8. चयनित वस्तुओं की इकाई का निर्धारण करना।
9. पुराने आधार वर्ष को नवीनतम आधार वर्ष से जोड़ने हेतु लिंकिंग फैक्टर का निर्धारण करना।
10. थोक भाव सूचकांक के संबंधित अन्य कोई बिन्दु को विचारणीय हो, को अध्यक्ष की अनुमति से सम्मिलित किया जा सकता है।

समिति अपना प्रतिवेदन आदेश जारी होने से 18 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी। समिति की आवश्यकतानुरूप समय–समय पर बैठक आयोजित की जा सकेगी। समिति के सदस्यों को वित विभाग की सहमति से प्रति बैठक निर्धारित मानदेय, बाहर से आने वाले सदस्यों हेतु सर्किट हाऊस अथवा विकास अध्ययन संस्थान में आवास सुविधा, निर्धारित यात्रा भत्ता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। तकनीकी समिति का प्रशासनिक विभाग सांख्यिकी विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

क्रमांकः– एफ 6(05)/अ.सां.-3/2019
दिनांक 23-2-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, समस्त सम्बन्धित मंत्रीगण...।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. अति. महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (पी.एस.डी.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष..।
11. समस्त सदस्यगण (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)।
12. सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
14. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/लेखाधिकारी, मुख्यालय।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

नोटः–कृपया इस समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र–व्यवहार आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से ही करें।